# न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 23/2023

| **अपीलांट–** | ***बनाम*** | **रेस्पोडेंट–** |
|---|---|---|
| सगतसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी करनपुरा, महाबा तहसील व जिला बाड़मेर | | 1. कुशलसिंह पुत्र हेमसिंह<br>2. मलसिंह पुत्र हेमसिंह<br>3. जोगराजसिंह पुत्र हेमसिंह<br>4. अखसिंह पुत्र पूनमसिंह<br>5. देवीसिंह पुत्र पुनमसिंह जाति राजपूत निवासी करनपुरा, महाबार तहसील व जिला बाड़मेर<br>6. तहसीलदार बाड़मेर |

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 924 दिनांक 26.05.2017 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।**

उपस्थिति :–

1. श्री डूंगरसिंह महेचा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुनील मेराजा, रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 6 प्रर्फोमा पक्षकार

## निर्णय

दिनांक : 22.04.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा ग्राम करनपुरा पटवार क्षेत्र महाबार के खसरा नंबर 304 कुल रकबा 157–08 बीघा भूमि के विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 26.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा ग्राम करनपुरा पटवार क्षेत्र महाबार के खसरा नंबर 304 कुल रकबा 157–08 बीघा भूमि के खातेदारान सगतसिंह कुशलसिंह [illegible] हेमसिंह, अखसिंह वल्द पूनमसिंह, देवीसिंह वल्द पुनमसिंह, [illegible] वल्द हेमसिंह कौम राजपूत सा0 करनपुरा ने राजस्व लो[illegible] आपके द्वार 2017 को दिनांक 26.05.2017 को तहसील[illegible] समक्ष प्रार्थना–पत्र प्र[illegible] संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्त[illegible]त विभाजन को स्वीकृ[illegible] राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:20:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

महाबार द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2017 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.07.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 4 व 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पों सं. 1 से 5 की पैतृक खातेदारी मूल खसरा नंबर 304 रकबा 157–08 बीघा मौजा करनपुरा पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर में आया हुआ है। उतरदाता संख्या 1 से 5 ने अपीलांट को वादग्रस्त खेत का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व मे किये गये बाहामी बंटवाडा अनुसार विभाजित करने व पक्षकारान का पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर अपीलांट ने पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा करने हेतु सहमति दी। जिस पर दोनो पक्षों ने पटवारी हल्का से मिलकर विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा अनुसार तैयार कहा तथा इसी अनुसार खेत में विभाजन लाईन डालकर विभाजन नक्शा व समझौता तैयार करने को कहा गया। जिस पर हल्का पटवारी ने वादग्रस्त खेत व पक्षकारान के कब्जा काश्त व बाहामी बंटवाड़ा के अनुसार विभाजन रेखा डालकर नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया गया। अपीलांट व उतरदाता संख्या 1 से 5 ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन समझौता प्रस्ताव प्रशासन गांवों के संग अभियान 2017 में तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार बाड़मेर ने उक्त विभाजन प्रस्ताव को तस्दीक कर भूमि का बंटवाडा कर दिया। उक्त कृषि जोत के विभाजन के संबध में आवश्यक हैं कि भूमि की उर्वरा स्थिति पक्षकारों के कब्जा [illegible] किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम बिन्दुओं को अनदेखा कर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की हैं तथा नक्शा ट्रेस की

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:20:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त में भारी भिन्नता है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि इस विभाजन के नक्शे व तरमीम के बारे मे ज्ञान अपीलांट को तत्यमय नहीं होने दिया तथा अरबा 20–25 दिन पूर्व उतरदातागण ने अपने खेत की नेखमबंदी की कार्यवाही के दौरान मौके पर पैमाईश करवाई गई तब उतरदाता द्वारा अपीलांट के हिस्से व कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर अपीलांट को बेदखल करने का प्रयास किया गया। जिस पर अपीलांट ने हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड की जांच करवाई तो मौके पर अपीलांट के कब्जे काश्त के अनुसार भूमि का बंटवाडा व तरमीम नहीं करवाने की जानकरी दी। जिस पर अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश की प्रति दिनांक 09.06.2023 को प्राप्त की तथा अपीलांट को सर्वप्रथम इस गलत विभाजन की जानकारी हुई। अपीलांट ने जानकारी होने से सम्यक तत्परता के साथ यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हैं फिर भी सद्भाविक एवं अज्ञानता वश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र पेश हैं।

6. रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा ग्राम करनपुरा पटवार क्षेत्र महाबार के खसरा नंबर 304 कुल रकबा 157–08 बीघा भूमि के खातेदारान सगतसिंह कुशलसिंह मलसिंह जोगराजसिंह पि0 हेमसिंह, अखसिंह वल्द पूनमसिंह, देवीसिंह वल्द पूनमसिंह, सगतसिंह वल्द हेमसिंह कौम राजपूत सा0 करनपुरा ने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 को दिनांक 26.05.2017 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी महाबार द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2017 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित कि[illegible] आदेश अपीलांट स्वंय की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में रा[illegible] अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 में केम्प महा[illegible] को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी [illegible] कीमतों में वृद्धि हो जाने तथा नियत में फर्क आने से रेस्पोडेंट के कब्जे–[illegible]त की भूमि को हड़पने की नियत

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:20:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

से यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के साथ मयाद बाहर प्रस्तुत की हैं जो खारिज योग्य हैं।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 4 व 5 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा ग्राम करनपुरा पटवार क्षेत्र महाबार के खसरा नंबर 304 कुल रकबा 157–08 बीघा भूमि के खातेदारान सगतसिंह कुशलसिंह मलसिंह जोगराजसिंह पि0 हेमसिंह, अखसिंह वल्द पूनमसिंह, देवीसिंह वल्द पूनमसिंह, सगतसिंह वल्द हेमसिंह कौम राजपूत सा0 करनपुरा ने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 को दिनांक 26.05.2017 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी महाबार द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2017 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.07.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का मयाद के बिन्दु पर कथन हैं कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने खेत की नेखमबन्दी करवाई तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तथा जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं साथ मयाद के सम्बन्ध में न्यायिक निर्णय नजीर आरआरटी 2019(1) पेज 7, आरआरटी 2008(1) पेज 1406, आरजेटी 2008 (2) पेज 1535, आरआरटी 2003(1) पेज 585, आरआरटी 2020(2) पेज 791 व आरआरटी 212(1) पेज 668 प्रस्तुत किये गये जिसमें माननीय न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया गया हैं कि विलम्ब की लम्बी समयावधि सारवान नहीं होकर विलम्ब का संतुष्टिपरक कारण होना आवश्यक हैं। इसके विपरित अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर 2015(1) आरआरटी पेज 232 व 2016[illegible] (राज) 201 प्रस्तुत कर प्रकट किया कि विलम्ब के प्रत्येक दिन का [illegible] कारण दिया जाना आवश्यक हैं, जो हस्तगत प्रकरण में [illegible] प्रकट नहीं किया गया हैं अपितु अपीलाधीन आदेश उनकी उपस्थिति एवं सहमति से पारित हुआ हैं। इस प्रकार हस्तगत अपील में धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में अपीलांट की

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:20:01 IST
Reason: SelfAttested

ओर से 6 वर्ष की लम्बी समयावधि का कोई ठोस एवं सत्यभाषी कारण प्रकट नहीं किये जाने से अपीलांट की यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा गुणावगुण के सम्बन्ध में प्रकट किया कि दो सह खातेदारान के मध्य जब भूमि का विभाजन किया जाये तब भूमि की उर्वरा स्थिति पक्षकारों के कब्जा का ध्यान रखा जाना था परन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करते समय तहसीलदार बाड़मेर ने इन अहम मुद्धो को अनदेखा कर विधिक भूल की है। जबकि अपीलांट के हिस्से में धोरे वाली जमीन अनपजाउ भूमि तथा उतरदाता संख्या 1 से 5 के हिस्से मे समतल व उपजाउ भूमि रखी गई है। भूमि की उर्वरा किस्म का ध्यान नहीं रखा गया है अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि के संबंध अपीलाधीन आदेश अपीलांट व उतरदाता के मध्य पूर्व में हुए बाहामी बंटवाडे के अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त मे भारी भिन्नता है। जिसके कारण अपीलांट की ढाणी, बाडे उतरदाता के कब्जे मे चले गये है, ऐसी स्थिति मे उक्त आदेश एकपक्षीय होने से अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2017 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपीलांट स्वंय की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 में केम्प महाबार में पारित हुआ हैं। अपीलांट को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी तथा अब जमीनों की कीमतों में वृद्धि हो जाने तथा नियत में फर्क आने से रेस्पोडेंट के कब्जे–काश्त की भूमि को हड़पने की नियत से यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के साथ मयाद बाहर प्रस्तुत की हैं जो खारिज योग्य हैं। अधिवक्ता पक्षकारान एवं अधिनस्थ न्यायालय के अवलोकन से पाया जाता है कि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर मयाद के संबंध में उल्लेखित कारण संतोषप्रद नही होने से एवं अपील के आधार मनगढत प्रस्तुत करने से वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत एग्रीमेंट स्वीकार किया है ए[illegible] सहमति से भूमि विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध 6 व[illegible] प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन होने के साथ–साथ मयाद [illegible] खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:20:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

( टीना डाबी )
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:20:01 IST
Reason: SelfAttested